APPROVED ADA & RERA APPROVED

UP RERA REGISTRATION NO. : UPRERAPRJ111795

OZONE SAMSARA

OZONE CITY, ALIGARH

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत

समसारा अपार्टमैण्ट्स

EWS (1BHK) एवं LIG (2BHK) परिवारों के लिए
कम कीमत में, सपनों का घर

Images shown are for representation purposes only.

परियोजना का परिचय

समसारा अपार्टमैण्ट्स

एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आवासीय परियोजना है, जिसे खासतौर पर EWS (1BHK) एवं LIG (2BHK) वर्ग के परिवारों के लिए तैयार किया गया है। यह परियोजना

ओजोन सिटी, अलीगढ़

में स्थित है जहाँ आपको मिलता है सुरक्षित, शांत एवं सुविधाजनक जीवन।

आधुनिक सुविधाएं

- लिफ्ट सुविधा
- पार्किंग सुविधा
- मंदिर के निकट
- पार्क के निकट
- प्रस्तावित हॉस्पिटल के निकट
- प्रस्तावित स्कूल के निकट
- प्रस्तावित मार्केट के निकट
- आधुनिक डिज़ाइन
- स्वच्छ वातावरण
- सुरक्षित परिसर

यह प्रोजेक्ट ऐसे परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कम बजट में अपना घर खरीदना चाहते हैं।

ओजोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा०लि०, अलीगढ़

विवरण पुस्तिका

1. योजना का विवरण:

ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग, 1BHK) एवं एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग, 2BHK) ओजोन सिटी, अलीगढ़।

विकासकर्ता कम्पनी :- मै. ओजोन बिल्डर्स & डेवलपर्स प्रा.लि.

2. भवनों का नाम :-

समसारा अपार्टमैण्ट्स - एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग, 2BHK), ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग, 1BHK) ओजोन सिटी, अलीगढ़

3. पंजीकरण हेतु पात्रता :-

आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

शर्तें :-

- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास अलीगढ़ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कॉलोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक का उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक की ओजोन सिटी टाउनशिप में स्थिति "समसारा अपार्टमैण्ट्स"-ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग, 1BHK) अथवा "समसारा अपार्टमैण्ट्स", एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग, 2BHK) हेतु निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए तथा शासन द्वारा वार्षिक आय क्रमशः रु. 3,00,000/- से कम (ई.डब्लू.एस. हेतु) व रु. 3,00,000/- से रु. 6,00,000/- (एल.आई.जी. हेतु) निर्धारित की गयी है। उक्त आय सीमा के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
- आवेदक को आय वर्ग हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करना होगा।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. भवनों का विवरण :-

क्रम संख्या	प्रत्येक तल पर भवन संख्या - 20	वर्ग (1 कमरा, 1 ड्राइंग रूम, 1 टॉयलेट, 1 बाथरूम, 1 डब्ल्यू.सी. व किचन)	कार्पेट एरिया वर्ग मी०	कुल भवन संख्या 20X04 = 80	E.W.S आवास की कार्पेट एरिया पर कुल मूल्य लागत प्रति भवन रू०-(4+5)	अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग आवेदकों हेतु 5% पंजीकरण धनराशि (रूपये)	अन्य जाति के आवेदक हेतु 10% पंजीकरण धनराशि (रूपये)
1	01	ई.डब्लू.एस. S+4 अर्थात मंजिल 05	33.90	04	6,10,200.00	30,510.00	61,020.00
2	02	ई.डब्लू.एस. S+4 अर्थात मंजिल 05	33.53	04	603,540.00	30,177.00	60,354.00
3	03	ई.डब्ल्यू.एस. S+4 अर्थात मंजिल 05	34.05	04	6,12,900.00	30,645.00	61,290.00
4	04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 अर्थात 15 यूनिट	ई.डब्लू.एस. S+4 अर्थात मंजिल 05	33.06	56	5,95,080.00	29,754.00	59,508.00
5	11	ई.डब्लू.एस. S+4 अर्थात मंजिल 05	34.07	04	6,13,260.00	30,663.00	61,326.00
6	12	ई.डब्लू.एस. S+4 अर्थात मंजिल 05	33.70	04	6,06,600.00	30,330.00	60,660.00
7	13	ई.डब्लू.एस. S+4 अर्थात मंजिल 05	34.22	04	6,15,960.00	30,798.00	61,596.00

क्रम संख्या	प्रत्येक तल पर भवन संख्या - 20	वर्ग (2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, किचन, 1 डब्ल्यूसी व टॉयलेट)	कार्पेट एरिया वर्ग मी०	कुल भवन संख्या 20X04 = 80	L.I.G आवास की कार्पेट एरिया पर कुल मूल्य लागत प्रति भवन रू०-(4+5)	अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग आवेदकों हेतु 5% पंजीकरण धनराशि (रूपये)	अन्य जाति के आवेदक हेतु 10% पंजीकरण धनराशि (रूपये)
1	01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 एवं 20 अथार्त 15 यूनिट	एल.आई.जी. S+4 अर्थात मंजिल 05	43.10	60	13,29,943.00	66,497.00	132,994.00
2	05, 06 व 15 अथार्त 03 यूनिट	एल.आई.जी. S+4 अर्थात मंजिल 05	43.13	12	13,30,869.00	66,543.00	133,087.00
3	09	एल.आई.जी. S+4 अर्थात मंजिल 05	43.24	04	13,31,177.00	66,559.00	133,118.00
4	16	एल.आई.जी. S+4 अर्थात मंजिल 05	42.88	04	13,23,154.00	66,158.00	132,315.00

तदरीर/अस्वीकरण :-

इस बुकिंग फॉर्म में वर्णित सभी विषय वस्तुए नियम व शर्ते भू-सम्पदा विनियम एवं विकास अधिनियम, 2016 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे जहाँ तक संशोधन करना समीचीन होगा और यदि आवश्यक हुआ तो भू-सम्पदा विनियमक प्राधिकरण (RERA) के अन्तर्गत सीमित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों व प्रपत्रों को निष्पादित किया जाएगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगे।

5. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :-24

यदि आवंटी आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

6. आरक्षण-

6.1 आरक्षण हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार "ओजोन सिटी टाउनशिप ", अलीगढ़ में स्थित "समसारा अपार्टमैण्ट्स-ई.डब्लू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा-

(अ) वर्टिकल वरीयता:-

क्रमांक	श्रेणी	वर्टिकल आरक्षण प्रतिशत	कोटा कोड
1	अनुसूचित जाति	21	1
2	अनुसूचित जनजाति	2	2
3	अन्य पिछड़ावर्ग	27	3

(ब) हॉरिजॉन्टल वरीयता:-

क्रमांक	श्रेणी	हारिजेन्टल आरक्षण प्रतिशत	कोटा कोड
1	दिव्यांगजन	05% (वरीयता-प्रथम तल के भवन/फ्लैट)	4
2	विधवा/ एकलमहिला	8%	5
3	उभयलिंगी	0.50%	6
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ावर्गों में पूर्व से अनुमन्य है	आरक्षण कोड सं0-03 भरें
5	वरिष्ठनागरिक	10 (वरीयता-प्रथम तल के भवन/फ्लैट)	7

6.2 दिव्यांगजन आवेदकों को यदि वह आरक्षण चाहते हैं तो आवेदक पत्र की मद संख्या में दिव्यांगजन कोड 04 भरना चाहिए। इन आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे के 05 प्रतिशत हारिजन्टल तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे के 10 प्रतिशत हारिजन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी, अतः दिव्यांगजन आवेदकों को दिव्यांग होने का प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा तथा आवेदन पत्र में मूल आरक्षित कोटा भी भरना आवश्यक है। अनारक्षित श्रेणी के आवेदक कोटा कोड-08 भरें।

6.3 यदि आरक्षित श्रेणीयों में आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो नियमानुसार आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

<u>नोटः-</u>

1. उक्त भवन ओजोन सिटी टाउनशिप याकुतपुर , अलीगढ़ में स्थित "समसारा अपार्टमैण्ट्स" - ई.डब्लू.एस. तथा एल.आई.जी. योजना के अन्तर्गत स्थित है।
2. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या का अवलोकन आवेदक द्वारा ओजोन सिटी टाउनशिप, अलीगढ़ में स्थित समसारा अपार्टमैण्ट्स - ई.डब्लू.एस. तथा एल.आई.जी. के अंतर्गत किया जा सकता है ?
3. उपरोक्त योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्वसैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांगजनों द्वारा निर्धारित कुल पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
4. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य प्रथम पृष्ठ पर दिया गया है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स, जी.एस.टी इत्यादि अधिरोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
5. आवंटन के पश्चात ई.डब्ल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों के लिए कुल मूल्य का 25% तथा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के भवनों के लिए कुल मूल्य का 25% चैक आवंटी द्वारा विकासकर्ता को देय होगा। शेष राशि का भुगतान 4 माह के भीतर करना होगा। विलंब की स्थिति में बकाया राशि पर 12% ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
6. विलम्बतम चार माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता/अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे एवं नियमानुसार पुर्नआवंटन करें।
7. उपरोक्त भवन पांच मंजिल है जिसमें भूतल स्टिल्ट, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल चतुर्थ तल निर्धारित भवन निर्मित किये गये है।
8. उक्त भवन की कीमत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित की गयी है। यदि भविष्य में भवन की कीमत में वृद्धि/कमी किसी भी सरकारी संस्था द्वारा नियमानुसार की जाती है तो वह लाभार्थी को स्वीकृत करनी होगी।
9. भवन का आवंटन शासन द्वारा गठित समिति के सहयोग द्वारा किया जायेगा। जिस भवन का आवंटन लाटरी के माध्यम से जिस लाभार्थी को प्राप्त होगा वह उसे स्वीकार करना होगा तथा भवन संख्या में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरुप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा।

6.5 प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणा पत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा एवं दिव्यांगता के केस में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.6 ओजोन सिटी टाउनशिप, अलीगढ़ में स्थित "समसारा अपार्टमेण्ट्स", ई.डब्लू.एस. तथा एल.आई.जी. हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारुप संलग्न है।

6.7 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

6.8 आरक्षण/जातिप्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

6.10 बिन्दु 6.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र जैसे-आधारकार्ड, वोटर आईडी० कार्ड, हाईस्कूल की सनद इत्यादि प्रपत्र संलग्न करने होगें।

6.11 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994 अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6.12 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश यथावत् लागू होंगे।

6.13 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्ते यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जायेगें एवं आवेदक/ आवंटी को मान्य होगें।

7. आवंटनः

7.1 पात्र आवेदकों का चयन शासनादेशों एवं उक्त पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अधीन विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा किया जायेगा।

7.2 भवनों का आवंटन समस्त सफल आवेदकों के मध्य निर्धारित स्थल पर लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। आवंटन के पश्चात आवंटियो की सूची विकासकर्ता को उपलब्ध करा दी जायेगी। तदोपरान्त समस्त अग्रिम कार्यवाही यथा आवंटन पत्र निर्गत करना, विक्रय-विलेख करना, रख- रखाव, आवंटित भवन के सापेक्ष धन राशि जमा करना इत्यादि समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

7.3 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रुप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा।

7.4 जो आवेदक अर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो उनके प्रार्थना-पत्र को निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता/विकास प्राधिकरण में निहित रहेगा।

7.5 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र रद्द कर दिये जायेगें।

7.6 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं जायेगा।

7.7 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी/विकासकर्ता को सूचित करे।

7.8 भवनों के आवंटन की तिथि से 03 (तीन) वर्ष तक किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण प्रतिबन्धित रहेगा।

7.9 भवनों में किसी भी प्रकार की संरचना यानि बुनियाद, दीवारें, छत, खिड़की व दरवाजे की लोकेशन, सनशेड, बिजली, पानी व सीवर लाईन में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।

7.10 भवनों की छत पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।

7.11 क्रेता द्वारा अपने भवन में बाहरी फर्श या किसी भाग पर किसी भी प्रकार का कार्य करवाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी स्तर/संस्था से अनुमति लेनी होगी।

7.12 कॉमन एरिया, पार्क, छत को इस्तेमाल करने का अधिकार सभी भवन स्वामियों का होगा।

7.13 किसी भी प्रकार के पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि को भवनों में नहीं पाला जायेगा।

7.14 आवंटी को बिजली का कनेक्शन विद्युत विभाग से स्वयं लेना होगा।

7.15 ईडब्लूएस व एलआईजी भवनों के आवागमन व निकासी का रास्ता समसारा अपार्टमैण्ट्स में से होकर रहेगा तथा ओजोन सिटी टाउनशिप के अन्दर किसी भी लाभार्थी का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

7.16 आवंटी को आवंटित भवन का प्रयोग केवल आवासीय में रहेगा, इसका अन्यत्र प्रयोग अमान्य होगा।

7.17 आवंटी भवन के बाहर की तरफ या कॉमन एरिया में किसी भी प्रकार के साइन बोर्ड, प्रचार, विज्ञापन अथवा किसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग नहीं करेगा।

7.18 उक्त भवन का आवंटन जहाँ है, जैसा है, जिस अवस्था में है उस पद्धति से किया जायेगा। जो आवंटी को स्वीकार करना होगा। आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में व अंतिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

7.19 एक से अधिक ई.डब्लू.एस. अथवा एल.आई.जी. भवनों का अमालगमेशन अथवा उन्हें जोड़ कर एक इकाई/भवन का निर्माण प्रतिबन्धित होगा।

7.20 भवन के कब्जे के उपरांत, आवंटी को विकासकर्ता/रेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन द्वारा निर्धारित रख रखाव शुल्क निवास करने अथवा निवास ना करने दोनों दशा में प्रतिमाह आवंटी द्वारा आवश्यक रूप से विकासकर्ता/रेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन को देय होगा।

8. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:-

8.1 असफल आवेदकों का आवंटन न होने की दशा में 60 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक /RTGS/NEFT/IMPS द्वारा वापस कर दी जायेगी।

8.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के पंजीकरण शुल्क का 25% कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जायेगी या जो कि तत्समय प्रवर्तनशील नियम व कानून के अनुसार होगी।

9. तथ्यों को छिपाना:-

9.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है, तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर लें।इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

10. फ्लैट्स का कब्जा:-

10.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन/निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट्स का कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा।

10.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

10.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में आवंटी द्वारा विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट् का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम् चार माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा तथा विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को देरी से किये गए भुगतान पर ब्याज लागू कर व आवेदन धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा।

10.4 (क) आवंटन के उपरान्त धनराशि जमा करने या कब्जा निबन्धन कराते हुए कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।

(ख) आवंटन के पश्चात वांछित/देव धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में आवंटी द्वारा जमा न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनयम 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्राविधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा।

11. शुल्क/कर आदि की देयता:-

11.1 नगर निगम व अन्य किसी सरकारी या अन्य विभाग/संस्था द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आदि आवंटी द्वारा देय होंगे।

11.2 उक्त योजना में आवंटियो के द्वारा रेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन स्थापित करते हुए भविष्य में अनुरक्षण का समस्त दायित्व रेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन /आवंटी का होगा। 30 प्रतिशत भवनों का अध्यासन / दखल (Possession) होने के पश्चात् रेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन रजिर्ड करायी जायेगी तथा उसके उपरान्त विकासकर्ता द्वारा कोई अनुरक्षण नहीं किया जायेगा। आवंटी द्वारा रख रखाव शुल्क जो विकासकर्ता/रेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन द्वारा निर्धारित किया जायेगा वह रख रखाव शुल्क प्रतिमाह निवास करने अथवा किसी कारण निवास ना करने वाले (दोनों दशा में प्रतिमाह) आवंटियों द्वारा आवश्यक रूप से विकासकर्ता/रेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन को देय होगा।

12. अन्य सामान्य नियम व शर्तेः-

12.1 आवंटन के पश्चात् अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में प्रचलित अन्य शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

12.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक का नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

12.3 किसी भी प्रकार के वादों का क्षेत्राधिकार अलीगढ़ में स्थित न्यायालयों को होगा।

13. पंजीकरण प्रक्रियाः-

13.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रु0 250.00 नगद भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में बिन्दु सं0-15 में निर्दिष्ट स्थलो से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

14. विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूप में भरेंः-

14.1 पंजीकरण धनराशि ड्राफ्ट/पे-आर्डर/चेक के माध्यम से OZONE BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD COLL ACC FOR SAMSARA STUDIO APRT PH IV **के पक्ष में देय होगी।**

14.2 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारुप को रु0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/ मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

14.3 पूर्ण रुप से भरे हुए आवेदन-पत्र अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ऑफिस में अंतिम तिथि से पूर्व के किसी भी कार्य दिवस में जमा किये जा सकते हैं।

14.4 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन के अनुसार होगी।

15. पंजीकरण

15.1 **पंजीकरण हेतु अधिकृत स्थान जहाँ पंजीकरण फार्म प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं:-**
स्थल - ओजोन क्लब, ओजोन सिटी, असदपुर क्याम, अलीगढ़ से निर्धारित शुल्क **रू0 250.00** का भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है।

15.2 प्राप्त पंजीकरण आवेदन विकासकर्ता ओजोन बिल्डर्स द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर विकास प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगें।

15.3 प्राप्त आवेदनों में पात्रता का चयन विकास प्राधिकरण द्वारा करते हुए उसकी सूची/विवरण विकासकर्ता मै. समसारा अपार्टमैण्ट्स को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

15.4 जो धनराशि आदि जमा करायी जायेगी वह सीधे विकासकर्ता के खाता सं0 - 9546002900000032
पंजाब नेशनल बैंक (PNB), IFSC Code-PUNB0954600, शाखा पता - ताला नगरी, रसिक टॉवर के पास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में जमा की जायेगी। **(नोट-यदि आवेदक के द्वारा चैक भुगतान किया जाता है तो उस चैक की छाया प्रति आवश्यक रूप से विकासकर्ता को उपलब्ध करानी होगी। छाया प्रति के बिना जमा की गई राशि मान्य नहीं होगी)**

15.5 भवनों का अनुबन्ध व रजिस्ट्री आदि विकासकर्ता द्वारा सम्पादित की जायेगी जिसमें भवनों के अनुरक्षण हेतु उचित प्राविधान विकासकर्ता द्वारा किया जा सकता है।

16. आवेदन-पत्र भरने के लिए अनुदेशः-

16.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण व स्पष्ट रुप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

16.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रुप से किये जाने की भी व्यवस्था है।

16.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र को दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।

16.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाइल नम्बर एवं स्थायी पत्ता दिया जाना अनिवार्य होगा।

16.5 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र व तीन वर्ष की आईटीआर की फोटो कॉपी जमा करानी होगी तथा मांगे जाने पर ओरिजनल को भी दिखाना होगा।

16.6 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी।

17. जाँच-सूचीः-

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्य जाँच लें।

1. आवेदन-पत्र फोटो के साथ पूर्ण रुप से भरा गया है? ☐
2. आवेदन-पत्र उचित रुप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर हैं? ☐
3. आवेदन धनराशि का चैक सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक अंकित हैं? ☐
4. आवेदक की आय के साक्ष्य तथा आरक्षण कोटे के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है? ☐
5. आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि पहचान के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं? ☐
6. शपथ-पत्र उचित रुप से निष्पादित व नोटरी से सत्यापित है? ☐

OZONE SAMSARA
OZONE CITY, ALIGARH

रू10/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...उम्र.............................वर्ष..........................

पुत्र/पुत्री/पत्नी..

निवासी...

....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ

1. यह कि मैं एतद् द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण-पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रुप से पढ़/सुन व समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हैं।
2. यह कि मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में भवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. यह कि जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भवन नहीं है।
4. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय रू....... /- थी, जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबधियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं एतद् द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहे गये कथन सत्य हैं। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापनः

मैं एतद् द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा क्रमांक 1 से 5 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

समसारा अपार्टमैण्ट्स, ओजोन सिटी, अलीगढ़

OZONE SAMSARA
OZONE CITY, ALIGARH

समसारा अपार्टमैण्ट्स ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आयवर्ग, 1BHK) एवं -एल.आई.जी. (अल्प आयवर्ग 2BHK)

आवेदक का नवीनतम फोटो अनिवार्य है।

1. योजना का नाम...

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)...
   (अंग्रेजी में)...

3. पिता/पति का नाम...

4. आयु...जन्मतिथि...

5. पैनकार्ड नं...आधारकार्ड...

6. पता (अ) वर्तमान पता पत्राचार हेतु...
   (ब) स्थायी पता..

7. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें)..
   (आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)..

8. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
   बैंक का नाम..शाखा का नाम...
   खाता सं०...आई.एफ.एस.सी. कोड..

9. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग, 1BHK)/ एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग, 2BHK) पंजी० धनराशि रू०....................................(शब्दों में)...
   शाखा...पता..

10. आवेदक का व्यवसाय..............................वार्षिक आय..............................प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

11. आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण-

	नाम	आयु	सम्बन्ध
1.	....	....	....
2.	....	....	....

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को भली-भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं/हम ये भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

संलग्नक:

1. ....

2. ....

दिनांक:

बैंक प्रयोग हेतु

ड्राफ्टसंख्या:...दिनांक..

बैंक का नाम/शाखा..धनराशि रू०

....विकासकर्ता कम्पनी के खाते में धनराशि जमा होने की

दिनांक....................................

बैंक की मुहर/हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोग हेतु

पंजीकरण की दिनांक...

आवंटित्त पंजीकरण संख्या...

आवंटन पत्र संख्या..

आवंटित पत्र संख्या...

एवं निर्गत होने की तिथि...

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर...

नाम स्पष्ट अक्षरों में...

घोषणा-पत्र

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों एवं तलाक शुदा पुत्री) के पास अलीगढ़ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्/अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई होतो भी इस मिथ्या निरुपण के कारण जुमनि/दण्ड स्वरुप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर लें।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो में उसका निर्धारित नियमों के अनरुप भुगतान करूँगा/करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा करूंगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण से मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाय गये हैं वो सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।
7. मैंने उक्त आवंटन हेतु में निर्धारित शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा उसके अधीन इस योजना में भवन प्राप्त करने की अर्हता रखता/रखती हूँ।

साक्षी के हस्ताक्षर | आवेदक के हस्ताक्षर

.... | ....

ओजोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा०लि०, अलीगढ़

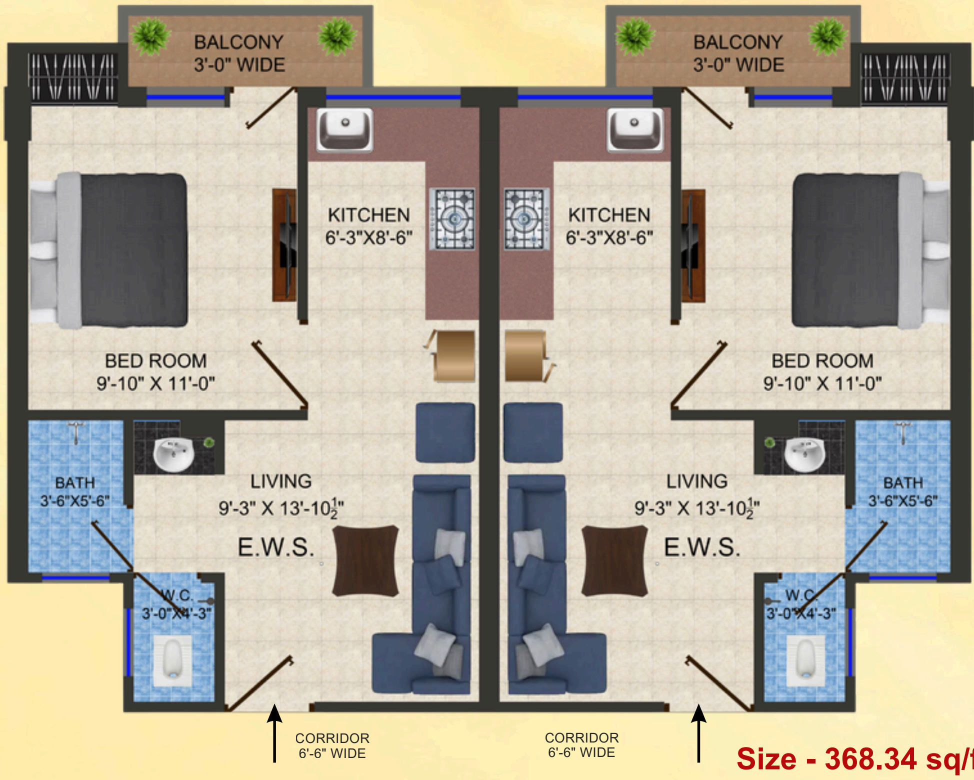

Size - 368.34 sq/ft. (Approx)

E.W.S. TYPICAL FLOOR FURNITURE LAYOUT PLAN

Size - 465.43 sq/ft. (Approx)

L.I.G. TYPICAL FLOOR FURNITURE LAYOUT PLAN

Images shown are for representation purposes only.

समसारा अपार्टमैण्ट्स, टाउनशिप, अलीगढ़

21 वर्षों का गौरवपूर्ण सफर

2550+ यूनिट्स वितरित | 28 लाख+ वर्ग फुट निर्मित | 11 लाख+ वर्ग गज विकसित

प्रमुख प्रोजेक्ट्स - हरियाणा | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | उत्तराखंड

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

781-789-1010

पता : ओजोन सिटी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश 202001

साइट कार्यालय: ओज़ोन क्लब, ओज़ोन रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश 202001

UP RERA REGISTRATION NO. : UPRERAPRJ111795

www.ozonecity.in

Scan QR Code for Location

पुस्तिका मूल्य - ₹250/-